F-282

संलग्न क्र.5 (01)

कार्यवाही विवरण

Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-I] by M/s National Highway Authority of India की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 11 मई 2022 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-I] by M/s National Highway Authority of India की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 11.05.2022, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–शासकीय माध्यमिक विद्यालय का मैदान, ग्राम–बाकारूमा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। आज दिनांक 11 मई 2022 को सड़क योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया है भारत माला परियोजना डिजाईन के लिये कोरबा जिले से उर्गा के लिये बढ़ती है। उर्गा से पत्थलगांव तक 130ए से लंबा है। जो बहुत ही कम समय में इस सडक से यात्रा किया जा सकता है। परियोजना में प्लांटेशन भी किया जायेगा। यह दो नदी से होकर गुजरेगा, 1 हाथी अंडर पास से होकर गुजरेगा। हम कई जगह री एलाईमेंट कर रहे है और रोड को सीधा कर रहे है। यह ग्रीन फील्ड से होकर जा रहा है इससे कोई घर नहीं टुटेगा किसी को परेशानी

नहीं होगी। यह भस्मा गांव से सुरू होता है और पत्थलगांव के पास के गांव पर समाप्त हो रहा है। इसकी लंबाई 87.5 किलोमीटर है। यह 03 जिले से होकर जा रही है, इसके लिये हम डी.जी. सेट का उपयोग करेंगे। यहा का रोड चलने योग्य नहीं है इसके बनने से कम से कम समय में पहुंच सकते है। इससे कही से भी पानी आने–जाने के लिये अवरोध नहीं होगा। परियोजना के बनने में लगभग 1500 लोगो को रोजगार मिलेगा। यहा हमारे परियोजना में कई जगह से एलिफेंट क्रस हो रहे है। अध्ययन के दौरान कई प्रकार के पेड़ जो रोड साईड में इफेक्ट हो रहे है, हमने पक्षीयों की गणना की जो आस–पास देखे गये थे। प्रस्तावित परियोजना में 108 लोग प्रभावित हो रहे है। हमारे कंस्ट्रकशन के दौरान प्रदूषण को कम करने के लिये फेसेलिटी प्रवाईड करेंगे जिससे लोगो के हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस परियोजना के दौरान हम ध्यान रखेंगे की कोई पेय जल की परेशानी ना हो, मिट्टी में भी हम कोई इफेक्ट ना हो इसका ध्यान रखेंगे। जहा भी फारेस्ट का पेड़ आयेगा उसे हम ध्यान रखेंगे हम लोगो को पी.पी.ई. कीट प्रदान करेंगे।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100–150 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 104 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. दिलसाय तिर्की, काजूबाड़ी – मेरा 4.5 एकड़ जमीन है तो आधा–एक एकड़ जमीन घुस रहा है मेरा, क्या करेंगे सब तो रोड में जा रहा है तो मेरा जमीन खतम है, कही तो एडजेस्ट करना पड़ेगा पैसा मिलेगा तो, पैसा मिल जायेगा तो जमीन कही एडजेस्ट कर लूंगा मैं उसमें इनकार नहीं हूँ मैं। सरकार ले रहा है तो मेरे को पैसा मिल जाना चाहिये।
2. खिरोद, – जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें क्या मुआवजा दिया जा रहा है हम लोगो को पता नहीं है। मेरे को सरकार से भूमि प्राप्त हुआ था मेरे भूमि का खसरा नंबर 157 है उसमें लगभग आधा एकड़

भारतमाला रोड में गया है लेकिन वहा पर 1.21 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है यह जमीन किस कारण से अधिग्रहित किया जा रहा है उसकी जानकारी अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के होने के कारण मैं जैसे कृषि कार्य करता हूँ, इसी से जीवन यापन चलता है तो जो भी मुआवजा आप देंगे जैसे हम लोगो को सुनाई दे रहा है प्रति हेक्टेयर 6 लाख है तो उस हिसाब से हम लोगो को कही अन्य जगह इस मुआवजा राशि में भूमि क्रय करने को नहीं मिलेगा इसलिये मुझे आपत्ति है कि अतिरिक्त जमीन मेरा ना लिया जाये। और मेरे खेत में मेरे द्वारा जगाया गया आम पेड़ है, सागौन है, खम्हार है मैं एक पेड़ में प्रतिवर्ष 5000 का आम बेचता हूँ तो उसमें आप लोग 6000 मुआवजा दे रहे है ये भी गलत है एक हिसाब से। इसके बाद हमारे यहा एक रेल लाईन है जो प्रेमनगर कॉलोनी में उसके अगल–बगल में अभी वर्तमान में जमीन खरीदी–बिक्री हो रहा है जो कि 40 से लेकर 60 लाख प्रति एकड़ हो रहा है इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार हम लोगो को भी मुआवजा मिले। पटवारी हल्का नंबर 37 में जो हमारा गांव के बगल में ही है 22 लाख प्रति एकड़ दिया जा रहा है जबकी हमारे बायसी कॉलोनी में मुझे पता चला है कि प्रति हेक्टेयर 6 लाख दिया जा रहा है बंजर भूमि का जबकि हम लोगो का सब सिंचित भूमि है जैसे मेरे ही खेत में तालाब है, कुआं है और एक एकड़ में लगभग जंगल भी पड़ता है जिसमें मैं सागौन लगाया हूँ उसका अभी तक मेरे उपस्थति में सर्वे भी नहीं किये है तो इस प्रकार मैं आपत्ति करता हूँ कि उचित मुआवजा मिले हम लोगो को ताकि मैं दुसरे जगह भी यदि सामान्य वर्ग का जमीन मिले उसे क्रय कर सकु। पर्यावरण से संबंधित मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

3. चंदन राव, सिसरिंगा – आप लोगो के पेपर में चिन्हांकित किया गया है कि और पत्रकार में दिया गया है उसमें 15 डिसमिल और अभी मुआवजा 2 लाख 1 हजार मिल रहा है ये तो सरासर गलत है इसको सुधार करने की कृपा करें।
4. दयाल सिंह राठिया, रैरूमाखुर्द – जो सड़क हाईवे आने वाला है वो पहले नीचे था अभी मेरे खेत में जा रहा है उसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे पिताजी का भी नाम नहीं है।
5. ईश्वर राम राठिया, सिसरिंगा – हमारे रोड में बाईपास जा रहा है जिसका हमें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, पटवारी लोग सही तरीके से जमीन को नहीं देखे है। दुसरे गांव में ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है।
6. देवसाय, रैरूमाखुर्द – जो बाईपास रोड जा रहा है उसमें मेन रोड में जो हमारा जमीन है उसमा हमें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है इसलिये हम लोग आवेदन दे रहे है और जो दो फसली है उसका भी मुआवजा दो गुना है इसका आपके जो पटवारी है और सरपंच है वो सही सर्वे नहीं किया गया है इसका हम आवेदन देना चाहते है उसका पावती मिलना चाहिये हम लोगो को।

7. मेरा उसमें बहुत सारा जमीन दब रहा है, पटवारी कहता है कि जमीन में तुम्हारा बेजा कब्जा है मेरा बाप–दादी कमाते–कमाते आ रहा है उसका नक्श–खसरा नहीं है ऐसा बोलते है और हमारे जीने–खाने के मुआवजा नहीं देंगे तो तो कैसे बनेगा, इसलिये शासन से कहता हूँ कि उसका मुआवजा दे और उसमें हमे कोई अपेक्षा नहीं है, बेजा–कब्जा कहती है शासन इसको नहीं देंगे तो हम कहा जाकर कमायेंगे और खायेंगे इसलिये मैं आप लोगो से निवेदन करता हूँ कि इसका मुआवजा मुझे शासन की ओर से मिले।

8. राकेश, धरमजयगढ़ कालोनी – अवार्ड पारित होने से पहले जनसुनवाई होनी चाहिये तो अवार्ड पाने के बाद कैसे जनसुनवाई हो रही है। सरासर किसानों से ये ना इंशाफी है और ग्रामसभा भी होना चाहिये, ग्रामसभा भी नहीं किये है एन.एच. वाले जो भारमाला के हमारे अधिकारी लोग है उर्गा से जो पत्थलगांव 130ए जो राष्ट्रीय राजमार्ग का ग्रामसभा भी नहीं हुआ है। और जब एक समिति गठित होती है हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के सदस्यता में प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले एक महिला प्रतिनिधि भी होना चाहिये जो नहीं है। परियोजना में भू–अर्जन अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकृत बैंक का प्रतिनिधि होना चाहिये, प्रभावित गांव का सदस्य होना चाहिये इसमें तो कोई नियम दर्शाया नहीं गया है और ना समिति का गठन हुआ है, एक महिला समिति का सदस्य है क्या और समिति गठित हुआ है क्या यह जानना चाहता हूँ। हमारी जो चल सम्पत्ति है हमारे धरमजयगढ़ कॉलोनी और बायसी कॉलोनी दोनो जगह का पत्रक अभी नहीं निकला है बाकी हमारे बाकारूमा, सिसरिंगा, तेजपुर यहा का पत्रक निकल गया है जिसमें हर कुआं, बाड़ी और जो भी पोईट्री फारम है, चल सम्पत्ति है उसमें जो देखा गया है पत्र में मैं देखा हूँ जिनका निकला है उसमें 70 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 90 प्रतिशत काट दिया गया है मुआवजा और ये क्या नियम है कैसे यह तो आप लोग बता सकते है इसमें क्या चिज में कटा है और दूर्गापुर फिडर में रेलवे में जो मुआवजा किसानों को मिला है छत्तीसगढ़ सरकार के गाईडलाईन के हिसाब से उस हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये जो मुआवजा देखा गया है इसमें जो आदमी इनवेस्टमेंट किया है वो भी नहीं आ रहा है ये किस टाईप का नियम है अलग–अलग नियम छत्तीसगढ़ शासन का रेलवे में अलग और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में अलग ये कैसा है। रोड जाने से इसमें परेशानी होगा इसलिये मैं पर्यावरणीय स्वीकृति का विरोध करता हूँ।

9. मुखीराम राठिया, बाकारूमा – मेरा एक जामुन का पेड़ चुक गया है नहीं लिखे है इसके लिये मैं आपके पास समाचार सुनाने के लिये आया हूँ

10. संतुदास महंत, खड़गांव -- पर्यावरण से संबंधित और प्रदूषण से संबंधित बातो पर बताना चाहूंगा। अभी तक हमारे सभी साथी बोल चुके है, अभी तक अवार्ड हो चुका हर ने बताया और जनसुनवाई नहीं हुआ। हमे आज तक पता नहीं है, ग्रामवासियों को किसी को पता नहीं है, इनमें से जितने भी हमारे भाई आये है कुछ तो बोल नहीं पाते और इस प्रकार का ग्रामसभा का संबंध नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि ग्रामसभा को प्रमुखता दिया जाये और 20 गांव और पुरे विधासभा को एक जगह बुलाकर इस प्रकार की

बाते की जा रही है। जो व्यक्ति गांव में बोल सकता है वो इस मंच पर नहीं बोल सकता, ये इतना बड़ा मंच आप सजा के रखे है और बोले इस गांव वाले को कि आप आईये और हमसे बात कीजिये और कोस्चन कीजिये, बेचारे को आपका भाषा ही समझ में नहीं आ पा रहा है आपसे कोस्चन क्या करेगा। ग्रामसभा का संबंध क्या है, ग्रामसभा किसे बोलते है हमे समझा दीजिये हम भी समझ ले कि ग्रामसभा होता क्या है। अवार्डेड हो चुका, सुनवाई नहीं हुई और हमे जानकारी भी नहीं है सही तरीके से। हमारे जो जमीन को आखरी बार सर्वे किया गया सर्वे का जो प्रति है 21 कैटेगिरी में हमारे भूमि का रखी गई है जो दो फसली है, सिंचित है, असिंचित है ये भी जानकारी हमारे किसान भाईयों को नहीं है, हमे भी नहीं है ऐसा क्यों, अगर पारदर्शिता है तो पारदर्शिता क्यों नहीं दीखाई जा रही है, होना चाहिये। हमे गर्व है, हम धन्यवाद देना चाहते है केन्द्रीय मंत्री गड़करी जी को कि हमारे छत्तीसगढ़ में भारतमाला रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है ये बहुत सराहनिय है। हम जानते है कि शहर के कनेक्टिविटी के बिना कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास कर सके, हम उसका भी स्वागत करते है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं जितना वन का महत्व है उतना अन्न का भी महत्व है, यदि आपके पास अन्न नहीं है तो वन का भी कोई महत्व नहीं है और अगर वन नहीं है तो अन्न का भी महत्व नहीं है। एक किसान अन्न उगाता है और उससे अपने मॉ–पिता को पालता है उसी से उसका पूर्वजो से चलता हुआ पिढ़ी भी गुजरता है। जितना औद्यागिक विकास जरूरी है उतना ही हमारे किसान भाईयों के लिये उतनी ही उपयोगित भूमि की तरह उसके उपजाउ भूमि की आवश्यकता है क्योंकि वो पैसे से पैसा नही बना सकता है लेकिन कुछ भूमि से कई पिढ़ी दर पिढ़ी जब तक उस जमीन को बिक्री ना करे उसका पिढ़ी उस जमीन से जीवित रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ग्रामसभा के तौर पर प्रत्येक 02–03 गांव में आप ग्रामसभा करिये, हम वहा उन ग्रामवासियों से भी पूछेंगे, हम भी उस बतों को बतायेंगे, हम तो बेघर हो जायेंगे। जमीन जा रहा है औद्योगिक विकास होगा, कनेक्टिविटी की जरूरत है, हम विकास भी चाहते है लेकिन विकास के साथ–साथ वो जो किसानों का पैत्रिक जमीन जा रहा है, अगर उस जमीन के चले जाने से क्या वो विकास कर सकता है, नहीं कर सकता है उन बातो को भी ध्यान दिया जाये और मुआवजा उस आधार पर निर्धारित किया जाये कि उसका जीवन सेटलमेंट हो जाये। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है सभी के लिये बोल रहा हूँ आप भी एक किसान के घर से आये होंगे वहीं अन्न खाते है जो हम खाते है, जमीन के चले जाने से हमें कितना दुःख हो रहा है हमे पुछिये, पैसा हम दो दिन नहीं चला पायेंगे क्योंकि हम किसान लोग है। हम उसकी सेवा करके अन्न उगाते है उसी अन्न से संतुष्ट हो सकते है। और रही बात पर्यावरण का विषय तो आप इंडस्ट्रीयल एरिया से बड़े अधिकारी है बड़े–बड़े औद्योगिक क्षेत्र से आये है वहा का वातावरण और हमारे इस गांव का वातावरण में क्या फरक है इसको आप बखुबी से समझ सकते है, बताने की आवश्यकता नहीं है, पालुशन इतना फैला हुआ है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है शहर में और हम नदी–नाले का स्वच्छ पानी बनाकर पीते है, नाला, झरना, तालाब, कुआं हमारा सभी चिज स्वच्छ है

और उस स्वच्छता को कोई बर्बाद कर सकता है तो वो औद्योगिक है क्योंकि उद्योग में बहुत कुछ नियम दिया हाता है, पर्यावरण को हम इस प्रकार बचायेंगे, इस पेड़ को इस प्रकार से लगायेंगे, स्वच्छता का इस प्रकार ध्यान देंगे, शिक्षा पर इस प्रकार ध्यान देंगे, विकास का कार्य इस प्रकार करेंगे लेकिन लग जाता है तो आप भी देखे है और हम भी देखे है इसमें और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है स्वयं आप प्रश्न निकालिये और पुछिये कि हाल क्या है। दिल्ली को विकास किये है, 6 महिने तक सांस लेने के लिये वहा पर लगा हुआ है 250 रूपया दीजिये और चार्ज कराईये। 250 रूपये का हवा लीजिये और मोबाईल की तरह चार्ज करके बाहर निकलिये, ये हालत हो गया है। हम चाते है ग्रामसभा के तौर पर प्रत्येक गांव में जनसुनवाई हो, अगर इस प्रकार होती है तो प्रत्येक गांव का जवान, प्रत्येक गांव का किसान, प्रत्येक गांव का भूमि जो जा रहा है उसका उसी गांव में निर्णय हो इस प्रकार इस मंच पर आकर कोई नहीं बोल सकता है। हमारा जमीन जा रहा है, हमारा पैत्रिक जमीन है, इतना दुःख होता है, मॉ–बाप की तहर जो पाल रहा है उस भूमि का एकाएक और इस प्रकार चना–मुर्रा की तरह लगाया गया है मैं इसमें देखा हूॅ अवार्डेड में 6000 रूपया महुआ पेड़ का। 6000 हम एक वर्ष में बिन लेते है एक महुआ पेड़ से, एक ही पेड़ में हम 6000 नहीं 10000 का महुआ बिन लेते है आपको यकीन नहीं है चलिये हम बिन कर बताते है और घर चल कर दिखाते है। 6000 रूपया क्या हमारे जीवन उपार्जन के लिये पर्याप्त है आप ही लोग बताये। एक आम के पेड़ का 5000 रूपया कौन से कैटेगिरी का है। हमे पारदर्शिता चाहिये और जो शासन द्वारा गाईडलाईन जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन का जो गाईडलाईन है और कलेक्टर गाईडलाईन है उस गाईडलाईन को प्रत्येग गांव में दिया जाये और उसको अवगत कराया जाये और उस गाईडलाईन के तहत जीविका उपार्जन के साधन उनको विस्थापित अगर भूमि दे। चलिये मैं मानता हूॅ कि मिल गया सामान्य, ओ.बी.सी. और एस.टी., एस.सी. सभी लोग। एस.टी. का जमीन चला जाता है आप मुआवजा देंगे उसी गांव में एस.टी. का जमीन खरीद लिया जायेगा लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का जमीन चला गया, एक ओ.बी.सी. का जमीन चला गया और उसके पास उतना ही जमीन है तो जायेगा कहा? वह जमीन खरीद नहीं सकता। क्या उस गांव से विस्थापित हो जाये, क्या आपके द्वारा दिया गया रकम हमको विस्थापित करने के लिये, दुसरे गांव में बसने के लिये पर्याप्त राशि है। आप ही पुछिये हम गरीब लोग है, गांव से है ज्यादा कुछ नहीं बोलते है लेकिन कुछ सिखे हुये है, अनुभव है हमे उन अनुभव को हमे भी बाटने दीजिये हमारे साथ और हमारे साथ न्याय कीजिये, आप लोग भी किसान के बेटे ही होंगे कोई उपर से तो टपके नहीं है। आप भी अन्न खाते है मैं भी अन्न खाता हूॅ, आप भी जल पीते है मैं भी जल पीता हूॅ तो फिर आप हमसे न्याय क्यों नहीं कर रहे है। हमे न्याय चाहिये और ग्रामसभा के रूप में प्रत्येक गांव में ग्रामसभा का मतलब होता है कि एक गांव का सरपंच बैठा हो और गांव के पुरे नागरिक बैठे हो उसके बिच में आकर बात को रखीये तो एक छोटा–छोटा आदमी भी आपको आकर बतायेगा बात कि सर मेरे साथ ये परेशानी है। नजरअंदाज मत कीजिये सर हमारे पर्यावरण के उपर खिलवाड़ मत कीजिये और अगर हमें सही जीवन

का साधन नहीं दे सकते है तो औद्योगिक विकास भी मत कीजिये हम इसी में खुश है, हम पत्ता तोड़कर खायेंगे, सराई बिज बिनेंगे, महुआ भी बिनेंगे, डोरी भी बिनेंगे और उसी जमीन से आलु उत्पादन करके हम पूर्वजों तक के आये पिढ़ी को आगे तक बढ़ान का प्रयास करेंगे और आपके शासन को अपने परिवार को और छत्तीसगढ़ शासन और केन्द्र शासन को हम भी विकास की ओर ले जाना चाहेंगे और करेंगे। लेकिन औद्योगिक विकास करके बड़े आदमी को फायदा देकर हम गरीबो को मत कुचलिये साहब। ध्यान रखीये इस बात को कि गरीब का आंतरिक आत्म जलता है पर आपसे बोल नहीं पाता है, कुट के रह जाता है, बहुत कोस्चन रहते है इनके पास, प्रश्न के उपर प्रश्न उठते है पर आपके पास बता नहीं सकते साहब, ध्यान रखीयें।

11. मोती लाल पटेल, बगुडेगा – राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है उसमें हमारे गांव का सूची प्रदान करने का कष्ट करें।

12. रविशंकर राठिया, बाकारूमा – सर मैं आपका ये पर्यावरणीय जनसुनवाई का विरोध करता हूॅ क्योंकि जो आपके तरफ से अवार्ड पारित है जिसमें महुआ पेड़ का और आम पेड़ का दर निर्धारित है उसमें सहमत नहीं हूॅ। मैं सहमत नहीं हूॅ और मेरा गांव भी सहमत नहीं है, क्योंकि एक आम के पेड़ का 6000 है जबकि एक साल में 6000 से लेकर 10–15 हजार का हम फल ही तोड़ लेते है, महुआ का भी वैसे ही है 1 साल में 7–8 हजार का महुआ डोरी करके 15–20 हजार कर लेते है तो 6000 लेकर हम क्या करेंगे इसके लिये मैं विरोध करता हूॅ और साथ ही साथ जमीन का भी मुआवजा काफी कम दे रहे है। मेरा 2 जमीन जा रहा है 44/08 रकता 547 हेक्टेयर और एक खसरा नंबर 354/03 इसका 0.202 हेक्टेयर है टोटल मेरा 1 एकड़ 87 डिसमिल है इसका मेरे को मुआवजा मात्र 5 लाख 77 हजार मिल रहा है, यदि इसके एवज में मैं कही दूसरे जगह जमीन लेने जाउ तो इतने मे मेरे को 50 डिसमिल भी नहीं मिलेगा तो मेरा इतना जमीन जाने का कोई मतलब नहीं है। पैत्रिक जमीन है पूर्वजो से कमाते–खाते आ रहे है मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। और खासकर पेड़ के लिये मैं और नहीं कर सकता। मेरा भी महुआ पेड़, आम पेड़, जामुन जा रहा है उसका मुआवजा कुछ भी नहीं बना है इसलिये मैं इससे सहमत नहीं हूॅ।

13. सजल कुमार, धरमजयगढ़ – जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया है वो हिन्दी में बना बहुत ही धन्यवाद के पात्र है आप। जो एस.डी.एम. मैंडम है मैं उनसे सवाल पुछना चाहता हूॅ, क्या जो भारतमाला के लिये अधिग्रहण किया जा रहा है जमीन का जो धरमजयगढ़ विकासखण्ड के आस–पास का सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है क्या 40 किलोमीटर दूर नियम के तहत यहा किया जा रहा है क्या यह उचित है क्या। इसमें जंगली हाथियों का जिक्र नहीं है। भारतमाला का जो परियोजना है ये धरमजयगढ़ विकासखण्ड क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वन मण्डल का बाकारूमा रेंज और धरमजयगढ़ रेंज 2001 से लेकर आज दिनांक तक 154 ग्रामिणों का हाथियों से मृत्यु हुआ है और 2005 से आज दिनांक तक हाथियों का भी मृत्यु हुआ है मेरे इस बात को नोट किया जावे और जो बाकारूमा और

धरजयगढ़ का जो रेंज है बाकारूमा रेंज में 2 हाथियों का मृत्यु हुआ। बाकारूमा और धरमजयगढ़ रेंज में कुल 18 हाथियों का मृत्यु हुआ है और 54 हाथियों क भी मृत्यु हुआ है यह मैं नहीं कह रहा हूँ वन मंडल का रिकार्ड कह रहा है। मैं बता दूं शायद यह जानकारी आपके पास नहीं होगा इसलिये मैं इसमें संलग्न किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पर्यावरण अधिकारी है मेरा एक ही मांग है कि धरमजयगढ़ रेंज जो बाकारूमा और धरमजयगढ़ से गुजर रही है जो भारतमाला परियोजना इस रोड को चेंज किया जाये ताकि जो जंगली हाथी है जंगल है उसकी सुरक्षा हो सके और मैं राईटिंग में आपको दे रहा हूँ इस पर अगर कार्यवाही नहीं होता है तो मैं इनके खिलाफ एन.जी.टी. में याचिका दायर करूंग और मैं चाहता हूँ कि मेरे आवेदन पर उचित कार्यवाही हो। किसी भी चिज का अधिग्रहण किया जाता है मेरा मानना है कि जनसुनवाई पहले किया जाता है अवार्ड बाद में बनता है लेकिन ये एक ऐसा परियोजना है पता नहीं संविधान के तहत बन रहा है कि उसके विपरीत बन रहा है अवार्ड पहले बन रहा है उसके बाद जनसुनवाई किया जा रहा है इस बात को भी लिखा जाये और मैं आज जो भारतमाला परियोजना का जो जनसुनवाई किया जा रहा है इस पर मेरा घोर आपत्ति है ताकि जंगली हाथी और जंगल सुरक्षित रह सके।

14. विनय कुमार टोप्पो, रैरूमाखुर्द – जो लोकसनुवाई यहा पर हम आये हुये है हमारे रैरूमाखुर्द के अंतर्गत नुराईझोर जिसमें हम लोगो के 10–12 लोगो का नक्शा दुरूस्ती नहीं हुआ है, इसमें प्रदीप खलखो, अजय खलखो, हेरमनी, नोहरसाय, रफल खलखो, भूवल खलखो, जुगलाल खलखो, अगुस्टिना खलखो, राजकुमार बरा, कमल खलखो, माया और एक आत हो सकते है उसमें हमारा नक्शा दुरूस्ती नहीं है जो भारतमाला की जो रोड जा रही है जो हमारा कब्जा है, मालिकाना हक है उसी में जा रही है लेकिन आज तक हम लोगो को राजत्रित में भी प्रकाशित नहीं हुआ है तो इसको नक्शा दुरूस्ती कर राजपत्रित में भी प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। हमारे नुराईझोर में करीबन 1 किलोमीटर की जो दूरी है यहा मैं जिन लोगो का नाम बता हूँ वहा उन लोगो का किसी का दुरूस्ती नहीं हुआ है। इसमें जमीन मेरे हिसाब से नंबर 597 और बटे में है और एक जुली खलखो है इसको समाधान करने की कृपा कीजिये।

15. पात्रिक खलखो, रैरूमाखुर्द – जो भारतमाला रोड जिसमें जा रही है इसमें हम लोगो का कुछ जमीन है वो नक्शा दुरूस्ती नहीं हुआ है और नक्शा में दुसरे जगह बता रहा है और काबिज सही है। हम लोग नक्शा दुरूस्ती के लिये डाले थे तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वो बोले हम लोग इसको बाद में सुची में चड़ा देंगे लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोगो से यह निवेदन है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे।

16. विभुति बैरागी, धरमजयगढ़ – भुमि अधिग्रहरण में सही तरह से पारदर्शिता नहीं रखी गई है, सन 2018 के भाव का विचार कर मुआवजा दिया जाये। यहा पेड़ों के लिये भेद–भाव से मुआवजा दिया जा रहा है। फलदार वृक्षों का सालाना आय के हिसाब से मुआवजा दिया जाये। इसका हम आपत्ति करते है।

17. शांति तिर्की, तेजपुर – इस जनसुनवाई का मैं विरोध करती हूँ, जब भी मैं तहसील जाती हूँ वहा बहुत बुरा बर्ताव होता है मेरे पास 235 पेड़ है जिसमें मुआवजा का कोई विवरण नहीं है जमीन का भी मुआवजा नहीं मिला है। उसका सही फायदा दिया जाये।

18. कुलदीप भगत, रैरूमाखुर्द – मैं हाथियों के विचरण के बारे में बोलना चाहता हूँ हाथियों के पास के लिये बाईपास बनाया जायेगा क्या? नहीं तो पुरा नुकशान हम पर पड़ेगा।

19. बिरजू, बाकारूमा – जो जमीन जा रहा है उसका जो मुआवजा मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है जो पेड़ जा रहा है उसके मुआवजे से भी संतुष्ट नहीं है।

20. चंद्रभान सिंह, बाकारूमा – जो हमारा खेत है पता नहीं उसका क्या रेट है और तीन गुना पैसा मिलेगा तो भी हमे वैसे जमीन नही मिलेगा। सागोन का 10 पेड़ है उसका 1600 रूपये बता रहे है जिससे संतुष्ट नहीं हूँ विरोध है मेरा।

21. राजेन्द्र, धरमजयगढ़ – हमारे यहा जो अवार्ड मिल चुका है और किसानों को मुआवजा भी मिल गया है लेकिन जनसुनवाई नहीं हुआ है इसका मैं विरोध करता हूँ। 1 पेड़ को 34 रूपये बनाया है, 4700 पेड़ में 6,29,000 बनाया है। उपरोक्त विषय का विधिवत पालन किया जाये। हमारे जमीन में जो मुर्गा फारम बनाया है उसका मुआवजा देने की कृपा करें।

22. कुलेश्वर राठिया, तेजपुर – मेरा मुर्गी फार्म बना है उसमें 90 फीट चौड़ाई है और 30 मीटर लंबाई है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है हम इसका विरोध करते है। जनसुनवाई 15 किलोमीटर के अंदर रखना था, पुरा आदमी नहीं पहुच पाया है।

23. संतोदास महंत, फड़गांव – मेरा 3 एकड़ 35 डिसमील जमीन जा रहा है मेरा दो फसली जमीन है इसलिये इसमें मैं सहमती नहीं हूँ।

24. चंपा बाई, बाकारूमा – सेवक डोकरा नाम से जमीन है जब नाप किये तो हमको नहीं बुलाये, उसको कैसे नापे है, तेंदु पत्ता, चार, हम लोग नहीं पायेंगे। आप लोग जमीन दे दो और पैसा ले लो। तेंदू पत्ता का पैसा दो, चार का मैं फोटो खिच कर लाउंगी। बकरी को 10,000–12,000 में खरीदते है। मेरे को एक फाटी बेंचर को दो और पैसा को ले लों। 20 बोरा महुआ ला दूंगी मैं। हमारे यहा बहुत डोरी, महुआ, चार फलता है और हमे केवल 6,00,000 दे रहे है। उतना पैसा का हम लोग 1 साल में बिन लेते है। सहमत नहीं हूँ।

25. अवनेश, धरमजगढ़ – मेरा जमीन भी इस परियोजना में जा रहा है। हम किसान है किसान का एक मात्र उदेश्य रहता है खेती करना, अगर हमारा खेत ले लेंगे तो हम क्या कमायेंगे। 1 एकड़ जमीन भी 10 डिस्मील के भाव में नहीं मिलेगा। लिचि का 5000 दे रहे है। नियम कहता है कि 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाना कहता है। काजू के पेड़ में भी आप लोग 500 दे रहे है लेकिन इससे 1 साल में कई लाख रूपये बन जाते है। अगर आप लोग पेड़ का सही मुआवजा नहीं देंगे तो इस क्षेत्र के लोग पेड़ कैसे लगायेंगे। किसानों की भी सुनिये उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस परियोजना में भूमि को लेने के लिये

नियम का पालन नहीं हो रहा है पहले अवार्ड पारित कर दिया और जनसुनवाई नहीं हुआ है। नियमों में किसानों को मुआवजा मिलता है और पता चलता है। हम लोग कृषक है, कई लोग मकान भी बना लिये है और कोई पोयट्री फार्म खोला है जिसका सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इमारती लकड़ी सागौन आदि का भाव निम्नतम रेट पर दिया जा रहा है। किसान कितना लड़ेगा अपना अधिकार लेने के लिये, रेलवे में भी जमीन अधिकरण किया गया है जिसमें मुआवजा दिया गया है उससे कम करके हमें इस क्षेत्र में मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। यहा पर जितने भी कृषक आये है सब मुआवजे को लेकर आये है। ऐसे में कोई किसान और पेड़ कैसे लगायेगा। हमारा मुआवजा राशि बहुत ही कम है।

26. मनीष राठिया, बाकारूमा – हम लोगो का जमीन जा रहा है, जिस समय टॉवर लग रहा था छोटे पेड़ का भी मुआवजा मिल रहा था लेकिन अब नहीं मिल रहा है, हमें 1 पेड़ का प्रतिवर्ष उसके उत्पादन के अनुसार राशि मिले तभी हम सहमत है।
27. हेतराम, बाकारूमा – किसानों का जमीन इस परियोजना में जा रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है उनका राशि बहुत कम हूँ जो शासन द्वारा मुआवजा मिल रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ।
28. विलियम पन्ना, बगुडेगा – मैं इस चल रहे जनसुनवाई का घोर आपत्ति करता हूँ। आप लोगो ने अवार्ड ले ली, स्ट्रक्चर बना लिया और बाद में जनसुनवाई करवा रहे है, नक्शा दुरूस्त नहीं हुआ है, जमीन का वेरिफिकेशन करना चाहिये था और सही मुआवजा मिलना चाहिये। मात्र हमारे पास पैत्रिक जमीन है उसे भी आप ले लेंगे तो कैसे होगा, अगर जमीन लेना ही है तो सही मुआवजा दिया जाये।
29. जनैवाल राठिया, सिसरिंगा – किसान लोगो को पता नहीं है कि कितना जमीन जा रहा है, पहले चिन्हांकित किया गया था और बाद में फिर दूसरे जगह चिन्हांकित किया जा रहा है तो हमे पता कैसे चलेगा।
30. बलवंत तिग्गा – मेरे क्षेत्र में भी जो रोड जा रही है उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है जो हमारे बहन लोग भी शिकायत कर रहे है कि तहसील में भी उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते। हमारे मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग विरोध में रहेंगे।
31. घसियाराम राठिया, बायसा – पहले जनसुनवाई होने के बाद रेट बनाते है।
32. लव–कुश मिश्रा, सिसरिंगा – आज की जनसुनवाई की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारतमाला परियोजना में जो रोड बन रहा है उसमें जो पेड़ जायेगा जिससे लोगो का रोजगार नष्ट होगा उसके निवारण के लिये आप क्या कर सकते है। रोजगार नष्ट होगा तो पर्यावरण अधिकारी इसके लिये क्या करेंगे। पेड़ों का उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप लिखित में जवाब नहीं देंगे तो मतलब ही क्या होगा। मैं आज की लोक सुनवाई से असंतुष्ट हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 01:45 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

प्रबंधक श्री बी.डी. पलवाल द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई के अंतर्गत कुल कमिया पाया गया है, आम आदि पेड़ों का मूल्यांकन नहीं किया गया, छुटे हुये खसरे का उल्लेख नहीं किया गया है, पटवारी द्वारा सर्वे सहीं नहीं किया गया है, जमीन का बेजाकब्जा का मूल्यांकन नहीं किया गया है, जमीन अधिग्रहण हेतु सुरूआत में गजट प्रकाशन किया जाता है, न्यूज पेपर में किया जाता है 21 दिन के अंदर कोई आपत्ति होती है तो उनको निराकरण किया जाता है। मुआवजा का निर्धारण मूल्यांकन के उपरांत ही किया गया है जिसकी कोई आपत्ति है तो अधिकारी द्वारा निराकरण किया जायेगा। 88 हजार के आस–पास कटेंगे, रोड चौड़ा होगा तो पेड़ कटेंगे और रोजगार उपलब्ध होगा, लोकल लोग इस प्रोजेक्ट में इनवाल्व होंगे। पड़े–लिखे लोग है उनको स्कील के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। मुआवजा वितरण के समय नक्शा दुरूस्त किया जायेगा, पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई जिले में एक जगह ही किया जाता है जिस किसान का नाम छुटा हुआ है वो एस.डी.एम. कार्यालय में जाकर जुड़वा लेवे, छुटे हुये खसरा का फिर से मूल्यांकन किया जायेगा। जमीन का मुआवजा कलेक्टर के निर्देशानुसार किया गया। फलदार वृक्ष का मूल्यांकन हार्टिकल्चर करता है, इमारति लकड़ी का फारेस्ट विभाग द्वारा किया जाता है और उसके अनुसार ही मूआवजा दिया जायेगा। हमने हाथियों के मूवमेंट को मेंशन किया गया है। हम 12 एलिफेंट पास दे रहे है। सरकार की पालिसी के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। इमारती लकड़ी का फारेस्ट डिपार्टमेंट में अनुसार जो भी होगा मुआवजा दिया जायेगा। छोटे पेड़ो का भी कंपनसेशन दिया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 42 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 02.30 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

11/05/2022

(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.ए. कुरूवंशी)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)